

लखनऊ जल संस्थान (जोन:-)

लखनऊ

नये संयोजन/फेरूल/शिफ्टिंग/फिटिंग परिवर्तन/संयोजन नियमितिकरण हेतु

प्रार्थना-पत्र

अधिशायी अभियन्ता (जोन:-)

लखनऊ जल संस्थान

लखनऊ

मैं _____
पुत्र/पुत्री श्री _____ मकान नं० _____ मोहल्ला _____
_____ वार्ड _____ जल संस्थान को उक्त भवन में _____ सा इ ज
के नये संयोजन/फेरूल/शिफ्टिंग/फिटिंग परिवर्तन/संयोजन नियमितिकरण हेतु मैसर्स _____
_____ नलकार को अधिकृत करता हूँ मैं उक्त भवन में किरायेदार/भवन स्वामी हूँ,
भवन में अघरेलू/घरेलू प्रयोग हेतु संयोजन लेना चाहता हूँ।

गवाह _____

ह० उपभोक्ता
पता _____
_____ सही लोकेशन _____

उक्त प्रार्थना-पत्र का रजिस्ट्रेशन फीस धनांक 25/- रसीद संख्या.....पुस्तक संख्या.....
दिनांक.....द्वारा जमा कर लिया गया है।

ह० कैशियर

भवन संख्या _____ मोहल्ला _____ वार्ड _____
श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री श्री _____
के नाम अंकित है इस भवन का कर निर्धारण धनांक _____ वार्षिक पर वर्ष _____
से है तथा वर्ष _____ तक का जलकर/जल मूल्य जमा है।

उक्त भवन अभिलेख के अनुसार श्री _____
किरायेदार हैं।

ह० लिपिक

लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ

अनुमान क्रमोंक
नाम
पता
वास्ते

दिनोंक

नाम व संख्या	आकार	कार्य व सामानों का विवरण	दर	रु०	पै०
		जी० आई० पाइप जी० आई० साकेट जी० आई० रि साकेट जी० आई० एल्बो जी० आई० टी जी० आई० रि० टी० जी० आई० बेण्ड जी० आई० चकनट जी० आई० लॉग स्कू सी० आई० स्टाप काक सी० आई० मीटर बाक्स ए० सी० मेनका आयरन क्लैम्प ए० सी० ब्रास स्टाप काक ए० सी० बिब काक (टोटी) ए० सी० फेरूल फेरूल की लम्बाई पाइप की लम्बाई नक्शा, दरखास व प्रतिज्ञा पत्र रजिस्ट्रेशन शुल्क, कनेक्शन शुल्क, मीटर परीक्षण स्टैम्पिंग शुल्क तथा सुपरवीजन शुल्क वाटर टैक्स सडक मरम्मत चार्ज मीटर जमानत पानी का पेशगी दाम			

नियम व शर्तें : -

- काम के दौरान में मकान के टूट फूट का.....फर्म जिम्मेवार न होगा।
- वास्तविक नाम, संस्था व वर्तमान बाजार के भाव अनुसार सामान का दाम लगेगा।
- सम्बन्धित सभी विभागीय स्वीकृतियों मिल जाने पर ही कार्य आरम्भ किया जायेगा।
- अनुमानित व्यय का ७० प्रतिशत अग्रिम, ३० प्रतिशत रूपये कार्य आरम्भ करने तथा शेष समाप्त होने पर किन्तु पानी खोलने के पूर्व भुगतान करना होगा।

मैं/हम उपरोक्त शर्तें अनुमानित व्यय तथा रेट को स्वीकार करता हूँ/करते हैं कृपया कार्य आरम्भ करें।

नलकार के हस्ताक्षर _____

भवन स्वामी के हस्ताक्षर _____

अनुबन्ध – पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
आयु.....जाति.....निवासी.....अपने
प्लाट/भवन सं०.....के लिए बतौर भू/गृह स्वामी/किराएदार की हैसियत से लखनऊ जल संस्थान से
घरेलू – अघरेलू प्रयोजन हेतुसाइज का जल संयोजन स्वीकृति होने के फलस्वरूप अपने आपको/स्वयं
को लखनऊ संस्थान के साथ निम्न अनुबन्ध से आबाद करता हूँ जिनका मेरे द्वारा प्रत्येक स्थिति में पालन किया
जायेगा:-

1. उक्त संयोजन मैं लगी सभी प्रकार की सामग्री का भली भाँति रख-रखाव व सुरक्षा मेरे द्वारा की जायेगी।
2. मेरे निजी जल संयोजन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण का खतरा होने की स्थिति में मेरे द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल संस्थान की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा विभाग संयोजन को विच्छेदित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
3. जल मापक यंत्र की पूर्ण सुरक्षा एवं रख-रखाव मेरे द्वारा भली-भाँति सुनिश्चित किया जायेगा और इसके किसी भी प्रकार के टूट-फूट अथवा नुकसान हेतु मैं उत्तरदायी हूँगा।
4. जल संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम जल मूल्य का भुगतान संस्थान की मांग पर किया जायेगा।
5. अघरेलू कार्यों के लिए जल का अपयोग करने से पूर्व मेरे द्वारा विभाग को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा तथा अघरेलू कार्य का प्रारम्भ संस्थान की सहमती प्राप्त होने पर ही किया जायेगा अन्यथा जल संस्थान द्वारा जो भी जलमूल्य, विकास शुल्क, दण्डिक धनराशि आदि निर्धारित होंगे उनका भुगतान विभाग को मेरे द्वारा किया जायेगा, अन्यथा विभाग मेरे संयोजन को विच्छेदित करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
6. जल मापक यंत्रके आधार पर यदि उपयोग किये जल मूल्य न्यूनतम जल मूल्य से अधिक होगा तो उसका भी विभाग को मेरे द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
7. विभाग द्वारा मांगे गये करों का भुगतान मेरे द्वारा किया जायेगा। अन्यथा विभाग जल संयोजन विच्छेदन हेतु स्वतन्त्र होगा।
8. विभागीय मीटर का किराया नियमानुसार विभाग को उसकी माँग के अनुसार मेरे द्वारा दिया जायेगा।
9. विभाग जल संयोजन एवं जल मापक यंत्र के निरीक्षण हेतु स्वतन्त्र होगा।
10. मेरे द्वारा विभाग को जल संयोजन/पुर्न संयोजन करने तथा विच्छेदन करने सम्बन्धी शुल्क जोभी निर्धारित किया जावेगा, का भुगतान विभाग को किया जायेगा।
11. जल संयोजन का स्थायी/अस्थायी विच्छेदन चाहने पर इस आशय का प्रार्थना पत्र विभाग के समक्ष कम से कम १५ दिन पूर्व कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा मीटर में किसी प्रकार की टूट-फूट से विभाग को होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई मेरे द्वारा की जायेगी अथवा विभाग जमानत धनराशि से इस समायोजित करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
12. यदि भविष्य में मेरे व लखनऊ जल संस्थान के मध्य जलापूर्ति/जल संयोजन तथा उस सम्बन्ध में समय-समय पर लगाये गये करों, जलमूल्य, दण्डिक राशि, शर्तों आदि के सम्बन्ध विवाद उत्पन्न होता है तो हम पक्षकार वह विवाद उ०प्र० जल निगम की मध्यस्थता में तय कराने हेतु सहमत हैं जिसका निर्णय हमें मान्य होगा जिसके ह०म बाध्य होंगे।

अतः यह अनुबन्ध निम्न गवाहों के समक्ष आज दिनांक.....दिनको लिखा गया तथा जिन पर मैंने हस्ताक्षर/अंगूठा लगाया।

गवाह के हस्ताक्षर व पता

1.....

2.....

उपमेवता के ह०/अंगूठा निशान

.....

ह० अधिशाषी अभियन्ता जोन –
जल संस्थान, लखनऊ

शपथ – पत्र

मैं.....उम्र.....वर्ष
पुत्र/पुत्री/पति श्री.....निवासी.....
.....सशपथ बयान करता/करती हूँ।

- 1- यह कि शपथी/शपथनी भूखण्ड/भवन सं०.....स्थित.....लखनऊ का/की भू/स्वामी/किरायेदार की हैसियत से निवास कर रहा/रही हूँ तथा शपथी/शपथनी ने उक्त भूखण्ड/भवन में घरेलू/अघरेलू कार्य हेतु.....साइज का जल संयोजन माह.....वर्ष.....से जल संस्थान, लखनऊ की सहमति के बर्गर प्रयोग में रहा है तथा उसको नियमित कराना चाहता है तथा इस हेतु जल संस्थान द्वारा निर्धारित किये गये कर, जल मूल्य, विकास शुल्क, दण्डित धनराशि आदि का भुगतान लखनऊ जल संस्थान को करने का बाध्य है।
- 2- यह कि शपथी/शपथनी ने उक्त भूखण्ड/भवन में माह.....वर्ष.....से माह.....वर्ष.....तक घरेलू/अघरेलू प्रयोजन में जल का उपयोग किया है तथा उक्त अवधि के बाद से आज तक घरेलू/अघरेलू प्रयोजन में जल का उपयोग कर रहा है।
- 3- यह कि उक्त भूखण्ड/भवन का कुल क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर/वर्ग फुट है तथा जिसमें शपथी/शपथनी ने.....मंजिल निर्मित किया है। भूतल पर निर्मित क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर/वर्ग फुट है। प्रथम व द्वितीय आदि तलों पर कमशः.....वर्ग मीटर/वर्ग फुट क्षेत्रफल निर्मित है।
- 4- यह कि उपरोक्त भवन के पूर्ण/आंशिक निर्माण हेतु जल संयोजन का प्रयोग किया गया जिसमें कुल निर्मित क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर/वर्ग फुट का अंश हेतु पानी का अघरेलू प्रयोग उक्त संयोजन से हुआ।
- 5- यह कि निर्मित भवन.....भागों में.....लखनऊ नगर निगम द्वारा वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित किया गया है। जो कि कमशः.....रूपया.....है। अथवा उपरोक्त भवन का वार्षिक किराया मूल्यांकन अभी तक लखनऊ नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है।
- 6- यह कि उक्त भवन का जो भी वार्षिक किराया मूल्यांकन लखनऊ नगर महापालिक द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा उसके अनुरूप करों का भुगतान शपथी/शपथनी द्वारा लखनऊ जल संस्थान में किया जायेगा।
- 7- यह कि विशेष विशेष नियमतीकरण योजना 1991 के तहत निर्धारित द्वितीय चरण के देयक का भुगतान लखनऊ जल संस्थान को एक वर्ष के अन्दर 12 मासिक/4 त्रैमासिक किस्तों में शपथी/शपथनी द्वारा किया जायेगा।
- 8- यह कि शपथी/शपथनी द्वारा लखनऊ जल संस्थान उसके मध्य हुए अनुबन्ध की सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

शपथी/शपथनी

सत्यापिकरण

मैं उपरोक्त शपथी/शपथनी यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की धारा १ से ८ मेरे निजी ज्ञान पर सही है। आज दिनांकदिन.....को लखनऊमें हस्ताक्षर किये/अंगूठा लगाया।

शपथी/शपथनी

लखनऊ जल संस्थान (जोन:-)

लखनऊ

नं०.....

दिनांक.....

शिकायतकर्ता का नाम.....

पता: म०नं०.....मोहल्ला.....वार्ड.....

लोकेशन.....

शिकायत का विवरण

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. जल की आपूर्ति में कमी | <input type="checkbox"/> |
| 2. गन्दे जल की आपूर्ति | <input type="checkbox"/> |
| 3. पम्पिंग स्टेशन का खराब होना | <input type="checkbox"/> |
| 4. सीवर लाइन चोक होना | <input type="checkbox"/> |
| 5. मेनहोल का ढक्कन लगाना / चोरी होना / खराब होना आदि | <input type="checkbox"/> |
| 6. हैण्डपम्प का खराब होना | <input type="checkbox"/> |
| 7. अन्य | <input type="checkbox"/> |

पूर्व में की गई शिकायत की संख्या एवं दिनांक.....

निराकरण की तिथि.....

निराकरणकर्ता का नाम हस्ताक्षर

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

